झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक–1/पी.एम.सी./कार्य/432/06 – 40/18-1-9 5 (सि०) /राँची/दिनांक 20.12.2018

प्रेषकः

राजेश कुमार वर्मा
सरकार के अपर सचिव

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखंड,
पो०–हिनू, राँची।

आंतरिक वित्तीय सलाहकार से औपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा :– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग।

विषयः **गोड्डा जिला के मेहरमा एवं महगामा प्रखण्ड में बिहार राज्य के साथ संयुक्त अन्तराज्यीय योजना बटेश्वरस्थान गंगा पम्प नहर योजना के झारखण्ड राज्य में पड़ने वाले भाग के कार्यो हेतु प्रदत रू० 10031.89 लाख (रू० एक सौ करोड़ इकतीस लाख नवासी हजार) की प्रशासनिक स्वीकृति में इस योजना को ए०आई०बी०पी० में शामिल करने की पूर्वानुमति की शर्त्त को विलोपित करने के संबंध में।**

आदेश–स्वीकृत

1. गोड्डा जिला के मेहरमा एवं महगामा प्रखण्ड में बिहार राज्य के साथ संयुक्त अन्तर्राज्यीय "बटेश्वरस्थान गंगा पम्प नहर योजना" के झारखण्ड राज्य में पड़ने वाले भाग के कार्यो हेतु झारखण्ड मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृति प्रदान किये जाने के उपरान्त जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के पत्रांक–32/10–11 प्र०स्वी०, राँची दिनांक–15.01.2011 द्वारा रू० 10031.89 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसमें वित्त विभाग, झारखण्ड के द्वारा "इस योजना का कार्यान्वयन तभी प्रारम्भ किया जायेगा जब भारत सरकार द्वारा इसे ए०आई०बी०पी० में शामिल करने की स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी" की शर्त्त का उल्लेख किया गया था।
2. योजना को ए०आई०बी०पी० में सम्मिलित करने हेतु प्रेषित विभागीय प्रस्ताव की भारत सरकार से स्वीकृति नहीं प्राप्त होने तथा अन्तर्राज्यीय योजना के महत्ता को देखते हुए राज्य योजना मद से अबतक निधि आवंटित किया जाता रहा है। योजना पर मार्च 2018 तक कुल ₹ 57.34 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

3. बटेश्वरस्थान गंगा पम्प नहर योजना की मुख्य नहर कि०मी० 14.35 पर झारखण्ड में प्रवेश करती है तथा कि०मी० 43.80 तक झारखण्ड में है, उसके पश्चात् बिहार में प्रवेश करती है। मुख्य नहर के शुरूआती भाग में बिहार द्वारा कार्य कर दिया गया है एवं इसका उद्घाटन भी किया जा चुका है तथा परीक्षण हेतु नहर में पानी भी छोड़ा जा चुका है। झारखण्ड में मुख्य नहर लगभग 30 कि०मी० है, जिससे 4800 हे० सिंचाई दी जा सकेगी। मुख्य नहर से 3 वितरणियाँ निकलती हैं, जिनके I.R. तैयार कर लिये गये है एवं भू-अर्जन प्लान तैयार किया जा रहा है। मुख्य नहर के 24.50 कि०मी० में लाईनिंग कार्य हो गया है एवं संरचनाओं के Gap इत्यादि लेकर लगभग 5.50 कि०मी० का लाईनिंग कार्य शेष है। संरचनाओं का निर्माण कार्य चल रहा है।

4. उपरोक्त के आलोक में गोड्डा जिला के मेहरमा एवं महगामा प्रखण्ड में बिहार राज्य के साथ संयुक्त अन्तर्राज्यीय योजना बटेश्वरस्थान गंगा पम्प नहर योजना के झारखण्ड राज्य में पड़ने वाले भाग के कार्यों हेतु प्रदत रू० 10031.89 लाख (रू० एक सौ करोड़ इकतीस लाख नवासी हजार) की प्रशासनिक स्वीकृति में इस योजना को ए०आई०बी०पी० में शामिल करने की पूर्वानुमति की शर्त्त को विलोपित करने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् द्वारा प्रदान की गयी है।

5. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर होंगे तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल गोड्डा शिविर-महगामा होगे।

6. इस योजना पर होने वाला यह व्यय राज्य योजना प्राधिकृत समिति द्वारा दिनांक-16.08.2018 की बैठक में दी गयी स्वीकृति के आलोक में निम्नांकित बजट शीर्ष में विकलनीय होगा :-

   मुख्य शीर्ष '4701'-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय उपमुख्य शीर्ष-80 सामान्य, लघु शीर्ष-800 अन्य व्यय, उप शीर्ष-64-छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना अंतर्गत चालू योजनाओं का निर्माण, विस्तृत शीर्ष-05 निर्माण, 45-मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत विकलनीय होगा। वर्ष 2018-19 के लिये इस बजट शीर्ष अन्तर्गत रू० 48.00 करोड़ का बजट उपबंध है।

7. कार्य के कार्यान्वयन के पूर्व विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक् रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

8. कार्य के प्राक्कलन एवं प्रमुख अवयवों की जानकारी प्रमण्डलीय आयुक्त को उपलब्ध करा दी जायेगी।

9. प्रस्तावित कार्य के लिए लिये राशि की निकासी गोड्डा कोषागार, गोड्डा से की जायेगी।

10. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

11. प्रस्ताव पर राज्य योजना प्राधिकृत समिति दिनांक–16.08.2018 की बैठक में स्वीकृति प्राप्त है।

12. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

13. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में उपलब्ध बजट के अन्तर्गत होगा।

14. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

15. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

16. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०–हिनू, राँची को संसूचित किया जायेगा।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

(राजेश कुमार वर्मा)
सरकार के अपर सचिव

पत्रांक–1 / पी.एम.सी. / कार्य / 432 / 06 – 4018-19 प॰ खी / राँची / दिनांक 20.12.2018

प्रतिलिपिः–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखंड, राँची को को प्रेषण हेतु / योजना–सह–वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

(राजेश कुमार वर्मा)
सरकार के अपर सचिव

पत्रांक–1 / पी.एम.सी. / कार्य / 432 / 06 – 4018-19 प॰ खी / राँची / दिनांक 20.12.2018

प्रतिलिपिः कोषागार पदाधिकारी, गोड्डा कोषागार, गोड्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित्।

(राजेश कुमार वर्मा)
सरकार के अपर सचिव

पत्रांक–1 / पी.एम.सी. / कार्य / 432 / 06 – 4018-19 प्र. स्वी. / राँची / दिनांक 20.12.2018

प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची / अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / मुख्य अभियंता, योजना आयोजन एवं मोनिटरिंग, राँची / मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर / अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1, जल संसाधन विभाग, राँची / अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, दुमका / कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल गोड्डा शिविर–महगामा / ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल सं०–3, जल संसाधन विभाग, राँची को On-line स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु / वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु / उप सचिव (अभियंत्रण) / प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजेश कुमार वर्मा)
सरकार के अपर सचिव

पत्रांक–1 / पी.एम.सी. / कार्य / 432 / 06 – 4018-19 प्र. स्वी. / राँची / दिनांक 20.12.2018

प्रतिलिपिः आयुक्त, संथाल परगना को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायक को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

(राजेश कुमार वर्मा)
सरकार के अपर सचिव

पत्रांक–1 / पी.एम.सी. / कार्य / 432 / 06 – 4018-19 प्र. स्वी. / राँची / दिनांक 20.12.2018

प्रतिलिपिः माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची / माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(राजेश कुमार वर्मा)
सरकार के अपर सचिव